(भारतकेराजपत्र, असाधारण,भाग।।, खंड 3, उप-खंड (i) मेंप्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचनासंख्या 57/2024- सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 31अगस्त, 2024

सा.का.नि. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उपधारा (3) और धारा 158 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट विनियम, 2018 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ – (1) इन विनियमों को समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाए।
(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट विनियम, 2018, -
(i) विनियम 15 में, उप-विनियम (2) में, शब्द, अंक और अक्षर, "31 अगस्त, 2024 तक" के स्थान पर, शब्दों, अंकों और अक्षरों, "उक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित सीमा शुल्क बंदरगाहों के लिए नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित तारीख तक" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
(ii) प्रपत्र-XII के बाद, निम्नलिखित तालिका अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

तालिका

[विनियम 14(2) देखें]

क्र.सं.	**सीमाशुल्क बंदरगाह**	**तारीख जब तक संक्रमणकालीन प्रावधान लागू हैं**

(1)	(2)	(3)
1.	मोरमुगाओ (INMRM1)	10.09.2024
2.	मंगलौर (INNML1)	30.09.2024
3.	मुंबई (INBOM1) और कांडला (INIXY1)	15.10.2024
4.	तूतीकोरिन (INTUT1) और विशाखापत्तनम (INVTZ1)	31.10.2024
5.	एन्नोर (INENR1), कट्टुपल्ली (INKAT1) और कोचीन (INCOK1)	15.11.2024
6.	उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 में उल्लिखित सीमाशुल्क बंदरगाहों के अलावा अन्य सभी बंदरगाह	30.11.2024

[फा. सं. 450/58/2015- सीमाशुल्क- IV(भाग I)]

धनंजय सिंह

(धनंजय सिंह)

अवरसचिव,भारत सरकार

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 448(अ), दिनांक 11 मई, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 47/2024-सीमा शुल्क (गै.टे.)दिनांक:30 जून, 2024, संख्या सा.का.नि. 356 (अ), दिनांक 30 जून, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।